

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास निगम लिमिटेड

B/H
३०८/१४
७५५ पटकंडा

यूपीएसआईडीएसा काम्पलेक्स
A-1/44 लखनऊ
उत्तर प्रदेश - 209024
फ़ोन : 0512-582851-53
फैक्स : 0512-2580797
वेबसाइट: www.upside.com
CIN-U26961SGC002834

संदर्भ संख्या

/ एसआईडीसी/ एटीपी दिनांक

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालयों द्वारा औद्योगिक विकास क्षेत्रों की विकास योजना में विकसित भूखण्डों के संविलियन/उप विभाजन के प्रस्ताव रीधे एटीपी अनुभाग, मुख्यालय को अपूर्ण प्रपत्रों के साथ विना किरी स्पष्ट संस्तुति के प्रेषित किये जा रहे हैं, जिससे उनके नियन्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः समरत् क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तत्पाल प्रभाव से उनके द्वारा भूखण्डों के संविलियन/उप विभाजन के प्रस्ताव अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित औरक्षे 0 अनुभाग, मुख्यालय के माध्यम से निम्न बिन्दुओं पर विवरण एवं सम्बन्धित प्रपत्रों सहित एटीपी अनुभाग, मुख्यालय प्रेषित किये जायें:-

- क) प्रथम आवंटन से पूर्व औद्योगिक भूखण्डों के आकार परिवर्तन करते हुये विकास योजना में मुख्य कार्यपालक अधिकारी—यूपीसीडा द्वारा संशोधन के प्रस्ताव:
- 1 भूखण्डों/भूखण्ड की तलपट मानवित्र/विकास योजना में आवरिति निर्धारित भू-उपयोग का विवरण तथा तलपट मानवित्र के अनुसार रासायनिक अधिकारी द्वारा जारी साइट प्लान।
 - 2 भूखण्डों/भूखण्ड के आवंटन हेतु गठित आंकलन समिति की संस्तुति तथा आवंटन प्रस्ताव का प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदन।
 - 3 भूखण्डों/भूखण्ड पर निर्माण की अद्यातन स्थिति।
 - 4 भूखण्डों/भूखण्ड के निकटवर्ती भूखण्डों पर निर्माण एवं राटडंक की स्थिति।
 - 5 भूखण्डों/भूखण्ड में उद्योगी द्वारा प्रस्तावित कियाओं का निकटवर्ती भूखण्डों पर प्रकाश, संवातन, प्राइवेसी एवं प्रदूषण सम्बन्धी कुशभाव तथा निकटवर्ती भूखण्डों में स्थित उद्योगों से प्रस्तावित भूखण्डों पर दुष्प्रभाव सम्बन्धी आरथा।
 - 6 भूखण्डों/भूखण्ड का संविलियन/उप विभाजन प्रस्ताव यूपीसीडा के भूमि विकास विनियमन, 2004 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होने, विकास कार्य रामिलित न होने एवं आच्छादित भूमि के निर्धारित भू-उपयोग में परिवर्तन न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति।
 - 7 अन्य विवरण।

ख) औद्योगिक विकास क्षेत्रों की विकास योजना में आवंटित भूखण्डों के संविलियन/उप विभाजन के प्रस्ताव:

- 1 आवंटी का अनुरोध पत्र एवं यूपीसीडा के मानकों के अनुरूप प्रस्तावित संविलियन/उप विभाजन मानवित्र।
- 2 आवंटित भूखण्डों का आवंटन/हस्तांतरण पत्र।
- 3 प्रस्तावित भूखण्ड की तलपट मानवित्र/विकास योजना में आवरिति, निर्धारित भू-उपयोग का विवरण तथा तलपट मानवित्र के अनुसार रासायनिक अधिकारी द्वारा जारी साइट प्लान।
- 4 आवंटित भूखण्डों का पट्टाविलेख एवं कब्जा प्रमाणपत्र।
- 5 संविलियन/उप विभाजन शुल्क की यूपीसीडा के मूले विकास विनियमन, 2004 के मानकों के अनुसार घण्टा का विवरण एवं प्राप्ति रसीद।

- 6 कार्यालय आदेश सं0 491-516/एसआईडीसी/यूपीरीडा दिनांक 09.3.2018 के क
संविलियन शुल्क की देयता में छूट प्रभावी होने सम्बन्धी मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा
जारी अनुमति पत्र।
- 7 आवंटित भूखण्डों पर निर्माण की अद्यतन स्थिति तथा निकटवर्ती भूखण्डों के आवंटन/
निर्माण की अद्यतन स्थिति।
- 8 आवंटित भूखण्डों पर वर्तमान में निर्माण होने की दशा में रवीकृत भवन भानचित्र। यदि
शमन अपेक्षित हो तो शमन की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त जारी रवीकृत ग्रान्चित्र।
- 9 संविलियत भूखण्ड में उद्यामी द्वारा प्रस्तावित क्रेयाओं का निकटवर्ती भूखण्डों पर प्रकाश,
संवातन एवं प्राइवेसी पर दुष्प्रभाव तथा निकटवर्ती भूखण्डों में स्थित उद्योगों से
प्रस्तावित भूखण्ड पर दुष्प्रभाव।
- 10 प्रस्ताव के यूपीरीडा के भूमि विकास विनियमन, 2004 में निर्धारित भानकों के अनुरूप
होने, भू-उपयोग परिवर्तन न होने तथा विकास कार्य यदि प्रस्तावित हो तो उनके विवरण
सहित क्षेत्रीय प्रबन्धक /परियोजना अधिकारी की रपट संस्तुति एवं आख्या।
- 11 यूपीरीडा के भूमि विकास विनियमन, 2004 के अनुसार भूखण्डों का संविलियन/उप
विभाजन एक समर्थक प्रावधान (Enabling Provision) है। अतः प्रस्ताव को कार्यहित में
आवश्यक होने तथा क्षेत्र की विकास योजना की मूल संरचना प्रभावित न होन के सम्बन्ध
में क्षेत्रीय प्रबन्धक /परियोजना अधिकारी की संस्तुति सहित आख्या।
- 12 आवंटित भूखण्डों पर लीज प्रीमियम/प्रभाव शुल्क/आवंटन समस्ती समस्त शुल्क/समय
विस्तारण शुल्क तथा निगम के अन्य समस्त देयों के पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के उपरान्त
जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र।

उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक /परियोजना अधिकारी द्वारा संविलियन/उप विभाजन भूखण्डों के
प्रस्ताव समस्त आवश्यक प्रपत्र, सम्बन्धित मूल पत्रावली सहित ३००के० अनुभाग, मुख्यालय प्रेषित किये
जायेंगे। समस्त प्रस्ताव सम्बन्धित पत्रावलियों पर ३००के० अनुभाग, मुख्यालय द्वारा उचित पाये जाने की
दशा में संस्तुति सहित एटीपी अनुभाग, मुख्यालय अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित किये जायेंगे।

(३००के० पाण्डेय)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

संदर्भ संख्या ३२। एसआईडीसी/एटीपी/कार्यपूर्ति आदेश दिनांक २७.७.२०१४

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 प्रबन्ध निदेशक भवोदय /मुख्य कार्यपालक अधिकारी-यूपीरीडा,
उ०प्र०रा०३००वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
- 2 मुख्य प्रबन्धक(३००के०)/प्रभारी-मुख्य प्रबन्धक(३००के०), उ०प्र०रा०३००वि०नि०लि०,
मुख्यालय, कानपुर।
- 3 प्रभारी-यूपीरीडा, उ०प्र०रा०३००वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
- 4 प्रभारी-एटीपी, उ०प्र०रा०३००वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
- 5 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक /परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०३००वि०नि०लि०,
- 6 समस्त अधिकारी अभिरान्ता, उ०प्र०रा०३००वि०नि०लि०,

(३००के० पाण्डेय)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक